मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ. क्रमांक-3-29-73-3-एक

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 1974

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय.—जिन शासकीय सेवकों को निलम्बित किया गया है या जिनके विरुद्ध विभागीय जांच चालू है उनके मामले में विभागीय पदोन्नति समिति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली.

इस विभाग के दिनांक 31 जनवरी, 1964 के ज्ञापन क्रमांक 209-2449-एक (3) 63 के पैराग्रामफ 3 में यह कहा गया है कि जिस शासकीय सेवक को विभागीय जांच में पूर्णत: निर्दोष पाया जाता है तथा जिसका निलंबन पूर्ण रूप से अनुचित था उसे पहले रिक्त पद पर तुरन्त पदोन्नत किया जाए, या यदि रिक्त पद उपलब्ध न हो और उससे कनिष्ठ व्यक्ति को स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया हो तो उसे प्रत्यावर्तित करके पदोन्नत किया जाए बशर्ते कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वह पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया हो. इस प्रकार पदोन्नति किए गए व्यक्ति की वरिष्ठता वही रहेगी जो कि विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा बनाई गई चयन सूची में दर्शायी गई है.

2. अब प्रश्न यह हैं उपस्थित हुआ है कि जिस पद पर उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित व्यक्ति को पदोन्नत किया गया है उससे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए यदि कम से कम सेवा की अवधि अनिवार्य रखी गई है तो उस व्यक्ति की सेवा किस तिथि से गिनी जाएगी. इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि विभागीय जांच के दौरान उनसे कनिष्ठ व्यक्ति को जिस तारीख से पदोन्नत किया गया था उसी तारीख से वरिष्ठ व्यक्ति की सेवा की गिनती उपर्युक्त प्रयोजन के लिए की जाए. दूसरा निर्णय यह लिया गया है कि पैराग्राफ एक में उल्लिखित श्रेणी के शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण के लिए भी जिस तारीख से उससे कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत किया गया है उस तारीख से उसे भी पदोन्नत मान कर उस तारीख के बाद की अवधि को भी वेतनवृद्धियों के लिए गिनी जाएं किन्तु जितनी अवधि में उस व्यक्ति ने उस पद का कार्य वास्तविक रूप से नहीं किया है उस अवधि का उसको बकाया पाने की पात्रता नहीं होगी.

3. यह अनुदेश इस ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावशील होगा. इस तारीख के पहले जिन व्यक्तियों की पदोन्नति हो चुकी है उनके मामलों को पुन: खोला नहीं जाएगा. अर्थात् इस ज्ञापन के जारी होने की तारीख को या उसके बाद जिन व्यक्तियों की विभागीय जांच का अंतिम निर्णय होता है उन्हें ही यह लागू होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(कान्त स्वरूप भटनागर)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन.